कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, एटा।

अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

4 (1) (ख)

i	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य–	जिला निर्वाचन अधिकारी,एटा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीक्षण,नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी तथा लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करता है।
ii	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य–	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी में निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यो का अनुश्रवण किया जाता है।
iii	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है–	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी नामित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यो का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
iv	कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्व रूप से निस्तारित करते हैं।
v	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख–	भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन विधि निर्देशिका एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो को समयबद्व तरीके से निस्तारित किया जाता है।
vi	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि, जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइड www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
vii	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं–	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयारी की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जन प्रतिनिधियों/ राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य का सहयोग लिया जाता है।

कमांक– 2– पर